



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर, म.प्र.

क्रमांक 567/री.ए.डी.एम. /2020

इन्दौर, दिनांक 29/03/2020

### "संशोधित आदेश"

पूर्व जारी आदेश क्रमांक कमांक/345-346/पी.ए./2020, दिनांक 26.03.2020 को अतिक्रमित करते हुवे निम्नानुसार नवीन आदेश जारी किया जाता है :-

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे के परिपेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उद्देश्य से इन्दौर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सघन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए और लोक जीवन की सुरक्षा हेतु सख्ती से कराया जाना आनिवार्य हो गया है। अतएव मुझे इस बात की संतुष्टी हुई है कि इन्दौर नगर निगम सीमा में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण नगर निगम इन्दौर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर, कर्फ्यू आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।

अतः मैं मनीष सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर एतद द्वारा यह आदेशित करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सड़कों पर, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन/यातायात का कोई भी साधन का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। नगर निगम, इन्दौर की सीमा में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने घरों पर ही रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।

उक्त प्रतिबंध के क्रियान्वयन से निम्नानुसार छूट का प्रावधान किया गया है -

1. शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारी/अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जेल में तैनात कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग।
2. पुलिस बल/अर्द्धसैनिक बल, नगर निगम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इन्टरनेट/डाकतार/टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर
3. किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा।
4. लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी
5. इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया
6. मरीज

7. दवा, सेनेटाईजर, मास्क एवं चिकित्सीय उपकरण, दवा में उपयोग में लायी जा रही कच्ची सामग्री एवं उक्त प्रतिष्ठानों/निर्माण ईकाई में कार्यरत कर्मियों एवं निर्मित सामग्री अथवा उत्पाद/कच्ची सामग्री पर लागू नहीं होंगे।
8. वेतन तथा लेखा विभाग

पुलिस प्रशासन उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करावेगा।

चूँकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके, अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन/स्पष्टीकरण पृथक से जारी किए जा सकेंगे।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

(मनीष सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला इन्दौर


इन्दौर, दिनांक

29/3/2020

पृ०क्र० 568 /पी.ए./2020  
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
6. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
7. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
9. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर
11. कार्यपालन संचालक, एम.पी.आई.डी.सी.
12. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
13. एयरपोर्ट डायरेक्टर, इन्दौर
14. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
15. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी एवं विकास अभिकरण

16. एस.डी.ओ. (पुलिस), डा. अम्बेडकर नगर(महू), सांवेर, देपालपुर।
17. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्द्रल कोतवाली, संयोगितागंज, परदेशीपुरा, विजयनगर, जूनी इन्दौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा, आजाद नगर, गांधी नगर, इन्दौर
18. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
19. थाना प्रभारी, थाना.....जिला इन्दौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
20. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
21. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाश हेतु अग्रेषित ।
22. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
23. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
24. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर
25. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर
26. जिला परिवहन अधिकारी, इन्दौर
27. जिला अपूर्ति अधिकारी, इन्दौर
28. संबंधित समस्त अधिकारी ।

  
 कलेक्टर एवं जिला इण्डाधिकारी  
 जिला इन्दौर